विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 302

दुर्ग, दिनांक 21/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 120
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री,
नगर निगम भिलाई
बी.पी. क्रमांक 1001989361

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, नेहरू नगर जोन

आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 17 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी. पी. क्रमांक 1001989361, स्वीकृत भार 40 किलोवाट, के संबंध में विद्युत बिल सही रूप से जारी नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

आवेदक द्वारा मुख्यतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई बिलिंग, पावर फैक्टर सरचार्ज, स्वीकृत भार को 40 किलोवाट से घटाकर 15 किलोवाट किए जाने, मीटर किराया तथा मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) के संबंध में शिकायत एवं निवेदन किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई की सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 40 किलोवाट है।
3. उक्त कनेक्शन में अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।
4. अनावेदकगण के अनुसार उक्त कनेक्शन में पूर्व में स्थापित मीटर अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 तक डिफेक्टिव रहा।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा शिकायत में उल्लेख किया गया है कि अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 की अवधि में 8764 यूनिट एवं 5009 यूनिट की खपत के आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जबकि उक्त बिलिंग सही मीटर रीडिंग अथवा उचित फील्ड सत्यापन के आधार पर नहीं की गई है।

आवेदक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त कनेक्शन का उपयोग सड़क बत्ती के लिए किया जाता है तथा मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है, जिसे लागू नियमों एवं टैरिफ के अनुसार हटाया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा स्वीकृत भार को 40 किलोवाट से घटाकर 15 किलोवाट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक द्वारा मीटर के मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) की जांच किए जाने तथा मीटर किराए के रूप में वसूली जा रही ₹100/– की राशि में आवश्यक सुधार किए जाने का भी निवेदन किया गया है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन से संबंधित दिसंबर 2022 से जुलाई 2026 तक का बिलिंग डाटा एवं गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 तक डिफेक्टिव रहा तथा अगस्त 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं –

1. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई 8764 यूनिट एवं 5009 यूनिट के आधार पर बिलिंग उचित है?

2. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली उचित है?

3. क्या स्वीकृत भार 40 किलोवाट से घटाकर 15 किलोवाट किए जाने के संबंध में अनावेदकगण को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित है?

4. क्या मीटर किराए की वसूली स्थापित मीटर एवं लागू नियमों के अनुसार की जा रही है?

5. क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) के संबंध में आवेदक की शिकायत स्वीकार किए जाने योग्य है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत मीटर डायरी, मीटर रीडिंग एवं बिलिंग गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आते हैं :-

1. डिफेक्टिव मीटर की अवधि की बिलिंग

अभिलेखों के परीक्षण से यह पाया गया कि उपभोक्ता के कनेक्शन में स्थापित मीटर अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 तक डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि में विभिन्न अवधियों के लिए 8764 यूनिट एवं 5009 यूनिट के आधार पर बिलिंग की गई है।

उक्त कनेक्शन में अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध मीटर रीडिंग एवं बिलिंग अभिलेखों का परीक्षण करने पर औसत मासिक खपत लगभग 2653 यूनिट पाई गई।

अतः डिफेक्टिव मीटर की अवधि में की गई बिलिंग के लिए स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध वास्तविक खपत को ध्यान में रखते हुए, लागू नियमों के अनुसार औसत 2653 यूनिट प्रतिमाह को आधार मानकर डिफेक्टिव मीटर की अवधि के बिलों की पुनर्गणना एवं संशोधन किया जाना उचित है।

2. पावर फैक्टर सरचार्ज

अभिलेखों के परीक्षण से यह पाया गया कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में उपभोक्ता के बिल में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है।

मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में मीटर से संबंधित मापन विश्वसनीय रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त अवधि के लिए पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली उचित नहीं है।

अतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त किया जाना उचित है।

3. स्वीकृत भार में कमी

आवेदक द्वारा कनेक्शन के स्वीकृत भार को 40 किलोवाट से घटाकर 15 किलोवाट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

फोरम का मत है कि आवेदक द्वारा भार कमी हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण द्वारा लागू नियमों एवं प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

भार में कमी की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात कनेक्शन में स्थापित मीटर के प्रकार/विनिर्देश एवं लागू टैरिफ के अनुसार मीटर किराए की वसूली सुनिश्चित की जाए।

4. मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF)

आवेदक द्वारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) के संबंध में जांच किए जाने का निवेदन किया गया है। तथापि, अभिलेखों के परीक्षण में आवेदक द्वारा MF में त्रुटि होने के संबंध में कोई विशिष्ट तथ्य, मीटर परीक्षण रिपोर्ट अथवा अन्य ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर MF में त्रुटि के संबंध में आवेदक की शिकायत स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाई जाती। इस बिंदु पर कोई पृथक राहत प्रदान किया जाना उचित नहीं है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम द्वारा निम्न आदेश पारित किया जाता है:–

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 तक मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई बिलिंग की पुनर्गणना करते हुए, अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर पाई गई लगभग 2653 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत को लागू नियमों के अनुसार ध्यान में रखते हुए संशोधित बिल तैयार करें।

2. मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त कर उसकी राशि की नियमानुसार पुनर्गणना एवं समायोजन किया जाए।

3. आवेदक द्वारा स्वीकृत भार 40 किलोवाट से घटाकर 15 किलोवाट किए जाने हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण द्वारा प्रचलित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

4. मीटर में कमी की कार्यवाही के पश्चात स्थापित मीटर के प्रकार एवं लागू नियमों/टैरिफ के अनुसार मीटर किराया निर्धारित एवं वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) के संबंध में आवेदक द्वारा कोई विशिष्ट तथ्य अथवा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण इस संबंध में आवेदक की शिकायत स्वीकार नहीं की जाती तथा इस बिंदु पर कोई पृथक राहत प्रदान नहीं की जाती।

6. उपर्युक्त संशोधन एवं पुनर्गणना के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा/वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

7. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

8. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।

9. आदेश पारित।

10. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. राजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग